

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/169/2025

दायर दिनांक 21.11.2025

रजि0 न0 2025/399

अपीलार्थी:-

श्री सभाचंद यादव पुत्र देवकरण
निवासी VPO जखराना तहसील
बहरोड जिला कोटपूतली-बहरोड
(राज0)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला
कलक्टर द्वितीय अलवर (राज०)


प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 29.12.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 06.10.2025 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 08.12.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी का आज दिनांक तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में प्रत्यर्थी ने आज दिनांक तक किसी प्रकार की सूचना से अवगत नहीं कराया गया है और ना ही प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा में जवाब इस न्यायालय को भिजवाया गया है। अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को 15 दिवस में पंजीकृत पत्र के माध्यम से निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावे एवं भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों का समयावधि में सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। उभय पक्ष को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 29.12.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।




(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर